

## प्रचार के अधिकारों की जटिलताओं की समझ

### प्रलम्ब के लिये:

प्रचार अधिकार, [डीपफेक टेक्नोलॉजी](#), नषिधाज्जा, वाक् और अभवियक्ती की स्वतंत्रता ।

### मेन्स के लिये:

प्रचार अधिकारों के पक्ष और वपिक्ष में तरक

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [दलिली उच्च नयायालय](#) ने एक अंतरमि आदेश जारी कयिा है, जसिमें 16 संस्थाओं को अनधकृत वयावसायकि लाभ के लयि बॉलीवुड अभनित्ताओं के नाम, छव्वा, वाक् और वशिषता सहति व्यक्तीव का दुरुपयोग करने से रोका गया है ।

यह मामला भारत में पहला उदाहरण है जहाँ छव्वा वरिपण और प्रसार से संबंघति चत्ताओं को दूर करने के लयि प्रचार के अधिकारों की जाँच की जा रही है ।

## प्रचार का अधिकार:

### परचिय:

- प्रचार का अधिकार एक कानूनी अवधारणा है जो कसिी व्यक्ती के नाम, छव्वा, वशिषिता या उसकी पहचान के अन्य पहलुओं के वयावसायकि उपयोग से नयितरण और लाभ के अधिकार की रक्षा करती है ।
- ये अधिकार दूसरों को उनकी अनुमति के बनिा वयावसायकि उद्देश्य हेतु कसिी व्यक्ती की पहचान का उपयोग करने से रोकने के लयि डजिाइन कयिे गए हैं ।
  - हालाँकि वर्तमान में भारत में प्रचार के अधिकार की अवधनिरिधारति करने वाला कोई वैधानकि प्रावधान नहीं है ।

### पक्ष में तरक:

- **व्यक्तीगत पहचान की सुरक्षा:** कसिी व्यक्ती की व्यक्तीगत पहचान की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चिति करने के लयि प्रचार अधिकार आवश्यक हैं कउनका इस पर नयितरण हो कउनके नाम एवं समानता का उपयोग वयावसायकि उद्देश्यों के लयि कैसे कयिा जाता है ।
  - एआई-जनति [डीप फेक](#) एवं [सथिटिक मीडिया](#) के युग में यह अधिकार प्रमुख भूमिका नभिता है । ये प्रौद्योगकियिँ अत्यधकि वशिषसनीय वीडियि व छवयिां बनाने में सक्षम हैं जो ऐसा प्रतीत करा सकती हैं जैसे ककोई सेलब्रिटी उन गतविधियिँ को स्वयं से कर रहा है जो कवास्तव में उसने नहीं की हैं ।
  - यह अधिकार व्यक्तीयिँ को उनकी गरमिा एवं गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है ।
- **आर्थकि प्रोत्साहन:** प्रचार अधिकार व्यक्तीयिँ, वशिषकर वखियात हस्तियिँ को उनके सार्वजनकि व्यक्तीव एवं प्रसदिधा में नविश करने के लयि वत्तीतीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं ।
  - यह लोगों को मनोरंजन, खेल तथा वजिापन जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लयि प्रोत्साहति कर सकता है, जसिसे समग्र रूप से अर्थवयवस्था को लाभ होगा ।
- **स्पष्टता एवं उत्तरदायतिव:** कसिी व्यक्ती की पहचान का अनधकृत उपयोग कब उल्लंघन बनता है, इसका मूलयांकन करने के लयि एक सटीक रूपरेखा प्रचार के अधिकार द्वारा बनाई गई है । वविादों को सुलझाने और जवाबदेही सुनिश्चिति करने के लयि यह कानूनी स्पष्टता आवश्यक है ।
- **उपभोक्ताओं की सुरक्षा:** प्रचार अधिकार उपभोक्ताओं को यह वशिवास करने से रोककर ककोई सेलब्रिटी वजिापन में दखिाए गए कसिी उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं कर रहा है उन्हें **भ्रामक रणनीति** से बचा सकते हैं ।
  - इससे वजिापन में वशिवास बनाए रखने में सहायता मलित्ती है ।

### प्रचार अधिकारों के वरिद्ध तरक:

- **अभवियक्ती की स्वतंत्रता:** प्रचार अधिकारों को कभी-कभी [अभवियक्ती और वाक् स्वतंत्रता](#) को सीमति करने के रूप में देखा जा सकता है । वे वभिन्नि रचनात्मक, कलात्मक या आलोचनात्मक कार्यों में कसिी व्यक्ती की छव्वा या समानता के उपयोग को प्रतबिधति कर सकते हैं ।

हैं, भले ही गुमराह करने या हानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न हो।

- **मशहूर सेलब्रिटीज़ को अधिक धनराशि:** आलोचकों का तर्क है कि कई मशहूर सेलब्रिटीज़ को उनके कार्य, समर्थन और उपस्थिति के लिये पहले से ही अत्यधिक धनराशि दी जाती है।
  - प्रचार अधिकारों के विस्तार को दोहरी गिरावट या पहले से ही धनी व्यक्तियों को अत्यधिक वित्तीय लाभ प्रदान करने के रूप में देखा जा सकता है।
- **जटिलता और स्पष्टता का अभाव:** प्रचार अधिकारों का प्रयोग जटिल हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद एवं अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।
  - यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कब कसि व्यक्तिकी पहचान का उपयोग उल्लंघन की सीमा पार कर सकता है, जो संभावित रूप से उसके वैध उपयोग को रोकता है।
  - इसके अलावा भारत में प्रचार अधिकार अक्सर नगिमें को हस्तांतरणीय होते हैं। इन अधिकारों का अत्यधिक विस्तार करने से मशहूर हस्तियों और नगिमें को सार्वजनिक कल्पना और सांस्कृतिक उत्पादों पर अनुचित नियंत्रण मलि सकता है।

## आगे की राह

- **कानूनों को स्पष्ट और सुसंगत बनाना:** लोगों के अधिकारों की रक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने के लिये न्याय क्षेत्रों को प्रचार अधिकारों को स्पष्ट और सुसंगत बनाना चाहिये।
  - इसमें इन अधिकारों के दायरे और अवधिको परिभाषित करना, साथ ही उल्लंघन के लिये स्पष्ट दशा-नरिदेश जारी करना शामिल हो सकता है।
- **आवश्यकतानुरूप उपाय:** समस्याओं के समाधान के लिये अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। न्यायालय प्रत्येक उपयोग की विशिष्ट प्रकृति तथा प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए तदनुसार उपाय कर सकते हैं।
  - **व्यापक निषिधाज्जा के बजाय** न्यायालय ऐसे उपाय लागू कर सकते हैं जो अभवियक्तके वैध रूपों को जारी रखने की अनुमति देते हुए होने वाले नुकसान को कम करते हों।
- **एआई वनियमन:** विशेष रूप से AI-जनति डीप फेक और सथिटिक मीडिया को लक्षित करने वाले नयिमें को विकसित और लागू करना।
  - इसमें AI द्वारा तैयार की गई सामग्रियों को इंगति करने के लिये वॉटरमार्कगि या लेबलगि के अन्य रूपों की आवश्यकता शामिल हो सकती है।
  - ऐसे वनियमों को कलात्मक और रचनात्मक अभवियक्तको अनावश्यक रूप से प्रतबिधति कयि बना नुकसान को कम करने के लिये भी डिज़ाइन कयि जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/navigating-the-complexities-of-publicity-rights>